अध्याय 6

शिक्षा उपकर

शिक्षा उपकर ।

81. (1) धारा 2 की उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वस्तरीय आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने और उसे वित्तपोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, संघ के प्रयोजनों के लिए, शिक्षा उपकर के नाम से ज्ञात अधिभार उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् धारा 2 की उपधारा (11) और इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर की ऐसी धनराशि का, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो वह आवश्यक समझे, उपयोग कर सकेगी ।

परिभाषा ।

82. उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं जो, यथास्थिति उस अधिनियम या अध्याय में उनके हैं । 1944 का 1 1962 का 52 1994 का 32

उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर ।

83. (1) धारा 81 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, कुल उत्पाद-शुल्क के योग पर (जिसके अंतर्गत विशेष उत्पाद-शुल्क या कोई अन्य उत्पाद-शुल्क है, किन्तु इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर नहीं है) परिकलित दो प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क (जिसे इस धारा में उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर कहा गया है) उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है। 1986 का 5 1944 का 1

(2) उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1944 का 1 1944 का 1

आयातित माल पर शिक्षा उपकर ।

84. (1) धारा 81 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल है, उस कुल सीमाशुल्क के योग पर परिकलित दो प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क, (जिसे इस धारा में आयातित माल पर शिक्षा उपकर कहा गया है) उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जैसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 1975 का 51 1962 का 52

के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य कोई राशि, सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जैसे सीमाशुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

1975 का 51 (क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क ;

1975 का 51 (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिरोधी शुल्क ;

1975 का 51 (ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ; और

(घ) इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय आयातित माल पर उपकर ।

1962 का 52 (2) आयातित माल पर शिक्षा उपकर, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।

1962 का 52 (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदायों और छूटों तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय आयातित माल पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर ।

85. (1) धारा 81 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर ऐसी सभी सेवाओं की दशा में कराधेय सेवाएं, उस कर पर, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है, परिकलित दो प्रतिशत की दर से कर (इस अध्याय में जिसे कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर कहा गया है) उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

1994 का 32

1994 का 32 (2) कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर प्रभार्य कर के अतिरिक्त होगा ।

1994 का 32 (3) वित्त अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत कर के प्रतिदायों और उससे छूटों तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या उन नियमों के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।